भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

रु. 100

HUND

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

कोषागार गोण्डा-50

GM 694909

25 AUG 2023

प्रारूप-अ

हम, उमेश प्रताप मिश्र एवं अखिलेश प्रताप क्रमशः अध्यक्ष एवं सचिव मां पाटेश्वरी एजुकेशनल ट्रस्ट परसपुर कामदा बलरामपुर शपथ पूर्वक निम्न बयान करते हैं -

1- यह कि,हमारी ट्रस्ट द्वारा मां पाटेश्वरी ग्रुप ऑफ़ इंस्टिट्यूशन , परसपुर कामदा तुलसी पुर सिरसिया रोड बलरामपुर 271208 नामक डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थान की स्थापना सत्र 2023-2024 से किया जाना प्रस्तावित है ।

2- यह कि, यह की हमारी ट्रस्ट के नाम परसपुर कामदा तुलसी पुर सिरसिया रोड बलरामपुर 271208 में गाटा संख्या 1466 एवं 1.016 हेक्टर (कुल रकबा 1.016 हेक्टेयर) भूमि है ।

3- यह कि, उपरोक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई भी वाद किसी भी न्यायालय मे नहीं चल रहा है ,और भूमि विवाद रहित है।

4- यह कि,उपरोक्त पते पर ट्रस्ट के नाम उपलब्ध भूमि की गाटा संख्या 1466 एवं 1.016 हैक्टेयर (कुल रकबा 1.016 हैक्टेयर) पर उपरोक्त नाम की डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थान की स्थापना किए जाने का प्रस्ताव ट्रस्ट की बैठक दिनांक 20/06/2022 द्वारा प्रस्तावित किया गया है ।

5- यह कि, उपरोक्त भूमि पर ही प्रश्नगत डिप्लोमा फार्मेसी संस्थान के संचालन हेतु भवनों का निर्माण अनुमोदित नक्से के अनुसार किया गया है ।

SOLEMNLY AFFIRMED & DECLARED BEFORE ME ON ...

umesh pratap

Manager

6- यह कि, निरीक्षण समिति समिति के समझ उपरोक्त पते पर ट्रस्ट के नाम भूमि एवं उस पर निर्मित एवं निर्धारित भवनो को ही निरीक्षण समिति के समक्ष निरीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया है।

7- यह कि, इस भूमि एवं इस पर निर्मित भवनों पर हमेशा काउंसिल आफ इंडिया , नई दिल्ली के नियमों के अंतर्गत ही डिप्लोमा फार्मेसी संस्थान का ही संचालन किया जाएगा।

8-यह कि, इस संस्था में फार्मेसी काउंसिल आफ इंडिया नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद से संबंध पाठ्यक्रम एवं प्रवेश क्षमता के अनुसार ही पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।

9- यह कि, उपरोक्त भूमि व इस पर निर्मित भवनों में फार्मेसी काउंसिल आफ इंडिया , नई दिल्ली से अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ से संबंध संस्था एवं पाठ्यक्रमों में अतिरिक्त किसी अन्य परिषद/विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित/संबद्ध कोई भी अन्य संस्थान/विद्यालय/महाविद्यालय/आईटीआई आदि का संचालन न तो कभी पूर्व में किया गया है और ना ही भविष्य में कभी किया जाएगा।

10-यह कि, संस्थान के संचालन हेतु आवश्यक क्लासरूम प्रयोगशालाओ एवं कार्यशालाओं आदि को हम काउंसिल आफ इंडिया नई दिल्ली एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद की मानकों के अनुसार ही सुसज्जित किया जाएगा।

11-यह कि, संस्था के संचालन हेतु आवश्यक शैक्षिक एवं अशैक्षिक स्टाफ की तैनाती ट्रस्ट द्वारा सत्र प्रारंभ के पूर्व कर लिया जाएगा।

12-यह कि,शासन/परिषद द्वारा निर्गत निर्देशों/आदेशों का भालीभाति पालन हो करूंगा यदि मेरे संस्थान में किसी भी समय स्थलीय निरीक्षण में मानकानुसार कोई भी कमी पाई जाती है तो परिषद की निरीक्षण एवं संबद्धता समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा एवं मुझे मान्य होगा। इस हेतु मेरे द्वारा कोई भी विधि कार्यवाही नहीं की जाएगी।

13-मैं घोषणा करता हूं की मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त सूचना मेरी निजी जानकारी में पूर्ण रूप से सही है यदि दी गई जानकारी एवं अभिलेख/दस्तावेज फर्जी , कूटरचित अथवा त्रुटिपूर्ण पाए जाते हैं तो मेरे विरुद्ध परिषद द्वारा नियमानुसार कानून संगत कार्यवाही की जा सकेगी ऐसी की गई विधि कार्यवाही हेतु मैं स्वयं उत्तरदाई कहूंगा

Manager

umesh pratap

हस्ताक्षर सचिव

हस्ताक्षर अध्यक्ष